

2/1/21

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: अधिसूचना ::

क्रमांक एफ 2-8/2019/सात/शा.7/68

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्रमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "अ" - मद 19 तथा 20 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-


क्रमांक	मामलों का विवरण	अधिनियम	धारा	रखने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	(1) व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का बंटन, जिसमें भूमिस्वामी हक दिये जाने संबंधी मामले भी शामिल हैं.	राजस्व पुस्तक परिपत्र	चार-1	यदि वंटन किया गया तो स्थायी, अस्वीकृत या नत्थी किये गये मामले एक वर्ष. भूमिस्वामी हक के मामले मूलवंटन मामलों के साथ रखे जावें.
	(2) कृषि प्रयोजन के लिये सहकारी संस्थाओं, शालाओं, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा, युवक क्लब आदि को भूमि वंटन	तदैव	चार-3	पट्टे की समाप्ति या रद्द करने की तारीख से पांच वर्ष. अस्वीकृत या नत्थी किए गए मामले एक वर्ष.
	(3) कृषि योग्य भूमि का शासन के अन्य विभागों, अन्य राज्य शासनों या केन्द्रीय शासन को हस्तांतरण	तदैव	तदैव	स्थायी. यदि हस्तांतरण नहीं किया गया या मामला अस्वीकृत या नत्थी किया गया तो एक वर्ष.
	(4) कृषि योग्य भूमि से संबंधित अन्य मामले	तदैव	चार-1	मामले के स्वरूप के अनुसार स्थायी या तीन वर्ष अस्वीकृत या नत्थी किये गये मामले एक वर्ष.
20	(1) नजूल भूमि के पट्टों का नवीनीकरण किया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष
	(2) नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर दिया जाना	तदैव	तदैव	भूमि की निष्क्रमण की तारीख से तीन वर्ष अस्वीकृति या नत्थी किये तो एक वर्ष
	(3) नजूल भूमि का राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरण किया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किया गया हो तो एक वर्ष
	(4) नजूल के अन्य मामले	तदैव	तदैव	एक वर्ष
	(5) नजूल भूमि का स्थानीय निकाय को भूमिस्वामी अधिकार में दिया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष

30/1/2021

(6) नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में दिया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष
(7) नजूल भूमि का लाइसेंस पर दिया जाना	तदैव	तदैव	यदि स्वीकृत हो तो स्थायी, यदि अस्वीकृत या नत्थी किये गये तो एक वर्ष

(प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अनुमोदित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(मुजीबुरहमान खान) 30/1/2021
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2021

पृ.कमांक एफ 2-8/2019/सात/शा.7/69
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. शासन के समस्त विभाग,
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
8. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, कृपया अधिसूचना को मध्यप्रदेश पोर्टल पर दर्ज करायें,
9. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
11. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश,
12. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
14. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
15. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।


उप सचिव, 30/1/2021
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.